18/12/24 आज यह पत्रावली पेश हुई।
कोई भी उप० नहीं है। प्रार्थी व
प्रार्थी वकील को बार-बार आवाज
लगाई गई किन्तु वे अनुपस्थित
हैं। प्रार्थी व प्रार्थी वकील के
लगातार अनु० रहने से प्रार्थना
पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी के आधार पर खारिज
की जाती है। पत्रावली फैसल हुई
होकर बाद के लोग संशोधित
नम्बर से कम है।